"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190-अ ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2006—आषाढ़ 22, शक 1928

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-3/2006/10-2 .—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 17 उप नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

परंतु कोई आयातक, किसी ऐसी प्रजाति/वनोपज जिसका दोहन वन विधि के अधीन प्रजाति के संरक्षण तथा परिरक्षण के प्रयोजन से प्रतिषिद्ध है, यदि किसी अन्य राज्य में विधियों/नियमों/विनियम के अधीन अनुज्ञात है, ऐसे प्रजाति/वनोपज का अन्य राज्य से आयात करता है तो, ऐसे आयात की तिमाही रिपोर्ट, प्ररूप-च में, ऐसे अर्जन एवं आयात के प्रमाण सहित संबंधित वनमंडलाधिकारी को देगा.

2. प्ररूप "ङ" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप "च" जोड़ा जाए :—

प्ररूप-च

[ नियम 17(3) देखिए ]

....................से....................**अवधि के दौरान आयातित तथा व्ययनित प्रतिषिद्ध वनोपज का तिमाही लेखा**

| अ. क्र. | आयातित वनोपज का नाम, प्रकार, मात्रा एवं आयात करने की दिनांक | संस्थान/व्यक्ति का नाम एवं पता जिनसे वनोपज क्रय की गई है | व्यक्ति/उद्योग का विवरण जिसे आयातित वनोपज बिक्री की गई | | तिमाही के अंत में आयातित वनोपज की अवशेष मात्रा | अवशेष मात्रा के के भंडारण की जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | व्यक्ति/उद्योग का नाम एवं पता | मात्रा | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

**टीप :—** आयातक वनोपज क्रय संबंधी वाउचर रसीद या अन्य प्रमाण लेखा के साथ में प्रस्तुत करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. सुब्रमणियम**, सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक एफ 8-3/2006/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-3/2006/10-2, दिनांक 11-7-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. सुब्रमणियम**, सचिव.

Raipur, the 11th July 2006

NOTIFICATION

No. F 8-3/2006/10-2.—In exercise of the powers conferred by Section 41 read with section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) the State Government, hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Transit (Forest produce) Rules, 2001, namely :—

## AMENDMENT

In the said rules :—

1. In sub rule (3) of rule 17 the following proviso shall be inserted, namely :—

Provided that any importer of any such species/forest produce whose exploitation is prohibited under forest laws of the state for the purpose of conservation and preservation of species from extinction, if permitted under the laws/rules/regulation in any other state, imports such species/forest produce from other state shall furnish quarterly report of such import to respective divisional forest officer in form F, alongwith proof of such acquisition and import.

2. After "form E" the following form "F" shall be inserted.

### FORM-F
[ See Rule 17 (3) ]

**Quarterly Return of Prohibited Forest Produce Imported and Traded during the period from..................................to..................................**

| S. No. | Name, type, quantity and date of import of forest produce | Name and address of Institute/Person from whom forest produce is purchased | Details of Person/Industry to whom forest produce is sold | | Balance Quantity of forest produce at the end Quarter | Information regarding the storage of balance quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Name and address of Person/ Industry | Quantity | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

**Note :—** The Importer shall furnish vouchers, bills or related documents along with return.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. SUBRAMANIAM, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.